**SHODH SAMAGAM**

**ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)**

# महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाएँः बिहार के विशेष संदर्भ में

**कुमारी सोनम,** पी–एचडी, गृहविज्ञान विभाग (स्नातकोत्तर केन्द्र)
जे.डी. वीमेंस कॉलेज, पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

**ORIGINAL ARTICLE**

**Author**
**कुमारी सोनम,** पी–एचडी
**E-mail :** sonamsingh1971@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/01/2026
Revised on : 21/03/2026
Accepted on : 30/03/2026
Overall Similarity : 00% on 22/03/2026

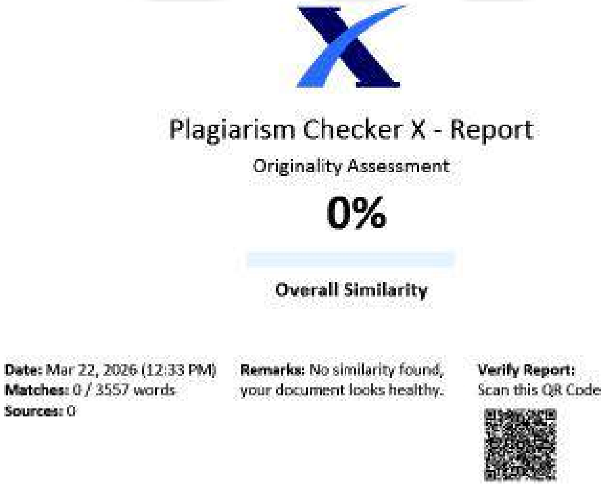


## शोध सार

*प्रस्तुत शोध पत्र महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाएँः बिहार के विशेष संदर्भ में, महिलाओं को समर्पित है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की महिलाएँ भेदभाव का शिकार होती आयी है। सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखी जाती रही हैं। वंचित और अधिकार विहीन रही हैं। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन है, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है, जहाँ संसाधनों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर और विचारधारा पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। पितृसत्ता में महिलाओं पर हिंसा व्यवस्था का अंग होता है अर्थात् महिलाओं को हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है। पूरी दुनिया में जारी यह सबसे बड़ी लड़ाई है और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाईयाँ परिवार के भीतर लड़ी जाती हैं। महिला आंदोलन और सरकारी तथा सामाजिक संगठनों की कार्रवाईयों से उपजे दबाव के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए वास्तव में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जागा है जिसके कारण वे पुरुषों के समान सभी कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में तत्पर हैं।*[1]

## मुख्य शब्द

*सशक्तीकरण, हिंसा, महिला आंदोलन, सरकारी व गैर–सरकारी योजना, पितृसत्तात्मक, संवैधानिक अधिकार.*

## भूमिका

भारत में महिलाओं में बड़े पैमाने पर भिन्नताएँ होने के कारण उनके बारे में व्यापक तौर पर कोई अनुमान

लगाना निश्चित तौर पर जटिल कार्य है। उनका संबंध अलग–अलग वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों से है। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि ज्यादातर महिलाएँ पितृसत्तात्मक ढाँचों और विचारधाराओं के कारण तकलीफें उठाती हैं, उन्हें महिला–पुरुष असमानताओं और पराधीनता का सामना करना पड़ता है। महिलाएँ सामाजिक और मानव विकास के समस्त सूचकों में पुरुषों से पिछड़ जाती हैं। महिलाओं के लिए भारत में दुनिया का सबसे प्रतिकूल महिला–पुरुष से कम है, महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक स्तर पुरुषों की तुलना बहुत कम है। महिलाएँ अल्प कौशल और कम पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक सीमित रहती हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में पारिश्रमिक और वेतन कम मिलते हैं और उनका सम्पति तथा उत्पादन के साधनों पर विरले ही स्वामित्व और नियंत्रण होता है। महिलाओं की प्रधानता वाले घरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वे हमारे देश के निर्धनतम घरों में से है। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी कम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी कभी 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही। उन्हें विधिक प्राधिकरण से बाहर रखा जाता है। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, कानूनी राजनीतिक नियमों के निरूपण में उनकी राय नहीं ली जाती और उन्हें अधीन रखा जाता है।[2]

आज पहले की तुलना में विगत दशकों से महिलाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। अब महिलाओं के साथ हिंसा करने वालों की भर्त्सना होने लगी है। निर्णय लेने वाले समस्त निकायों में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। महिलाओं के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों में, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों में सुधार हुए हैं, नीतिगत वक्तव्य महिलाओं के प्रति अब ज्यादा संवेदनषील हो गए हैं। सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। खासकर बिहार सरकार में पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में मिशाल कायम की है। भारत के अन्य राज्यों में भी बिहार की पहल को सराहा है और इस दिशा में लगातार महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। खासकर बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को आँगनबाड़ी में सहायिका और सेविका के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं की देखभाल के साथ प्रखंड स्तर पर इसकी सूचना देकर इन महिलाओं को पौष्टिक आहार, आर्थिक सहायता और प्रसव कार्य में मदद करती हैं। बिहार सरकार की पहल पर प्रत्येक गाँवों में जीविका दीदी की नियुक्ति भी महिला सशक्तीकरण का हिस्सा है।[3]

आजादी के बाद एक लम्बे संघर्ष के बाद संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को भागीदार बनाया गया। भारतीय संविधान न केवल महिला–पुरुष समानता पर बल देता है बल्कि महिला सशक्तीकरण का एक सुनियोजित मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है। भारत में महिलाओं की संख्या लगभग 593 मिलियन हैं जो कुल आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। इस दिशा में सबसे अधिक पहल बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारतीय समाज में महिलाएँ न केवल पिछड़ी हुई थी बल्कि भेदभाव में उनका दर्जा दलितों के समान था। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को घर की चहारदिवारी में कैद करके सुनियोजित तरीके से अलग–थलग करने की जो नीतियाँ अहम् स्वरूप से चलाई गयी थी, उन्होंने सामाजिक संगठन में महिलाओं को सबसे निचले पायदान पर लगाकर खड़ा कर दिया था। इस मर्म को आजादी के पश्चात् राष्ट्र के नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों ने गहराई से समझा और पाया कि महिलाएँ अपने कारण नहीं वरन् सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड़ रही है। जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर किया जाता तब तक न तो महिलाओं की दशा सुधारी जा सकती है और न ही राष्ट्र के विकास में उनके बेहतर योगदान की अपेक्षा की जा सकती है।[4]

इन समस्त विषयों को ध्यान में रखकर आजादी के बाद महिला उन्मुख वातावरण के लिए सरकार ने उनके

लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जिनमें से कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैः

- **कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासः** कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए छात्रावास (Hostel) की सुविधा वर्ष 1972 से चल रही है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाओं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं तलाकशुदा महिलाओं आदि) रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। आज पूरे देश में करीब 77684 कामकाजी महिलाओं को लाभ प्रदान करते हुए योजना के तहत् 1016 छात्रावासों को स्वीकृति प्रदान है।[5]
- **रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने के कार्यक्रमः** महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन संबंधी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के 10 परम्परागत क्षेत्र शामिल किए गए हैं जो इस प्रकार हैं– कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग रेशम कीट पालन, परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी।[6]

## स्वावलंबन

स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नौराड कहा जाता था। महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1982–83 में समूचे देश में इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को शामिल करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

- **स्वयंसिद्धाः** 12 जुलाई 2001 के केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा समूह आधारित योजना है। पूर्व से चली आ रही इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण करना है। योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे देश के 650 विकासखण्डों में संचालित किया गया है। योजना के तहत 69615 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनके 10.02 लाख महिला सदस्य हैं।
- **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति एवं स्वधाराः** राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनुभव की गई। जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना के तौर पर बनायी गई थी। स्वधारा की शुरूआत वर्ष 2001–02 में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गई। इसमें परित्यक्त महिलाएँ, विधवाश्रमों में रह रही निराश्रित महिलाएँ, प्राकृतिक आपदा में बच गई निराश्रित महिलाएँ और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित महिलाएँ इस योजना की पात्रा हैं।

  इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जानेवाली सेवाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। इस समय देश में 311 स्वधारा गृह कार्य कर रहे हैं।[8]
- **स्वर्णिम योजनाः** भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु जो गरीबी–रेखा से नीचे परिवारों की है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गई। इसके अंतर्गत

50 हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर उन्हें ब्याज की दर मात्र 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इन महिला उद्यमियों को ऋण वापस करने हेतु 12 वर्ष की लम्बी अवधि तय की गयी है।

- **महिला समाख्या योजना एवं आशा योजनाः** महिला समाख्या योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाना तथा क्रियान्वित करवाना है। इसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित किया जाता है ताकि वे परम्परागत और रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर समर्थ और निर्णय लेने वाली सशक्त नारी की भूमिका निभा सके।

  आशा योजना की शुरूआत 11 फरवरी 2005 को की गई। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्त्ता की तैनाती का प्रावधान है। योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी राज्यों में लागू किया गया है।[9]

- **बालिका समृद्धि योजना/बालिका प्रोत्साहन योजनाः** बालिका समृद्धि योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 1997 में किया गया। इस योजना में 15 अगस्त, 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में (गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाला परिवार) बच्चों के जन्म के समय 500 रुपये की राशि (केवल दो लड़कियों तक) देने का प्रावधान है। इस बालिका के विद्यालय जाने पर इस योजना मे बालिका को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा के लिए 300 रुपये तथा दसवीं कक्षा के लिए 1000 रुपये हैं।

  बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरूआत वर्ष 2006–07 में किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा आठ पास करने वाली बालिका को कक्षा में 9 में नामांकित होने पर 3000 रुपये मुफ्त राशि दी जाती है।10

- **किशोरी शक्ति योजनाः** वर्ष 2001 में केन्द्रिय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है– पहली योजना 'गर्ल टू एप्रोच' तथा दूसरी योजना 'बालिका मंडल योजना'। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है।

- **राष्ट्रीय पोषाहार मिशनः** केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती और नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।[11]

- **जननी सुरक्षा योजना एवं जीवन भारती महिला सुरक्षा योजनाः** 1 अप्रैल 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। वर्ष 2005–06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उपांग के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण तथा शिशु जन्म उपरान्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

  जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना की शुरूआत 8 मार्च 2003 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 18–50 वर्ष की आयु की ग्रामीण महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं को जन्मजात अपंगता में सुरक्षा प्रदान करता है।

- **कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजनाः** केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछले (ईबीबी) केवल ऐसे विकासखण्डों में लागू की जाएगी जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।[12]

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः** केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार

गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2008 से गह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में कम–से–कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।[13]

- **उज्जवला योजना एवं धन लक्ष्मी योजना:** महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार पुनर्वास और फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केन्द्र प्रायोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारंभ 4 दिसम्बर 2007 को किया गया। इस योजना के पाँच घटक है–रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनःएकीकरण और स्वदेश भेजना। वर्तमान समय में कुल 207 परियोजनाएँ चल रही हैं जिनमें 104 पुनर्वास गृह शामिल है।14 मार्च 2008 में केन्द्र सरकार ने महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थाने दिलाने के लिए 'धनलक्ष्मी' नामक योजना की शुरुआत की है। उसके तहत् महिला शिशु के जन्म से लेकर इसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राशि का हस्तान्तरण उसके परिवार को किया जाएगा।
- **राजीव गाँधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला):** भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत 2010–11 में की। इसके अंतर्गत 11–18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों का पोषण स्वास्थ्य परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है।[15]
- **इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना:** प्रसूता एवं दुग्ध–पान कराने वाली माताओं के लिए 2010–11 में वह नई योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह राह की आयु तक तीन किश्तों में 4000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक या उसके तुरन्त बाद काम पर जाना पड़े।
- **महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन:** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करके भारत के मानवीय राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में 8 मार्च 2010 को इसका गठित किया गया है। यह मिशन जहाँ कहीं भी उपलब्ध होता है। सहनागी मंत्रालय की मौजूदा संरचनात्मक व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में पंचायती राज सस्थान, सीएसओ केन्द्रीय और राज्य सरकारों विभागों आदि के साथ काम करता है।
- **महिला किसान–सशक्तीकरण योजना:** वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- **प्रियदर्शिनी:** आई.एफ.डी. की सहायता से यह प्रायोजित परियोजना उत्तर प्रदेश के चार जिलों – श्रावस्ती. बहजराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर तथा बिहार के दो जिलों मधुबनी और सीतामढ़ी के 13 ब्लॉकों में चलायी जा रही है। इसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्र की महिलाओं और किशोरियों के कमजोर समूहों के समग्र सशक्तीकरण (आर्थिक एवं सामाजिक) हेतु महिला स्वसहायता समूहों के गठन और उन्नत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत एक लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है और परियोजना अवधि के समापन तक 2016–17 के दौरान 7200 स्वसहायता समूह बनाए जायेंगे।[16]
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जून 2011 को प्रारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें

गर्भवती महिलाओं को दवाई एवं साथ, मुफ्त इलाज जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, घर से स्वास्थ्य संस्थान की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम से माता एवं नवजात शिशुओं की रूग्णता और मृत्युदर में कमी आने की सम्भावना है।[17]

केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी परिस्थितियों में महिला विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

## निष्कर्ष

शायद ही आज कोई क्षेत्र ऐसा हो जहाँ महिलाएं अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर विगत छः दशकों के प्रयास पुरुषों के नजरिये में बदलाव लाने में काफी हद तक सफल हुए है फिर चाहे वह बदलाव बाध्यकारी नीतियों से या जागरुकता से ही क्यों न आ रहे हों। सामाजिक परिदृश्य में महिला मजदूर नहीं, मजबूत नजर आ रही है। अपने एवं परिवार से संबंधित निर्णयों में वह काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है जिसमें में संगठित होकर अपने सतत् विकास को प्राप्त कर रही है। महिला अधिकार की कसौटी पर खरी उतरने वाली पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। तदनुसार केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 27 अगस्त 2009 को संविधान की धारा 243 घ को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया ताकि पंचायत के तीनों स्तर की सीटों और अध्यक्ष के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकें। पंचागती राज मंत्री ने 26 नवम्बर, 2009 को लोकसभा में संविधान 110वां संशोधन विधेयक 2009 पेश किया। वर्तमान में लगभग 20.18 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 36.87 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इस संशोधन विधेयक के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी अधिक हो जाने की आशा है।

ग्रामीण व शहरी निकायों में महिलाओं की सहभागिता को केवल उभारा ही नहीं है वरन् उनके लिए नेतृत्व के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। महिला अधिकारों ने सशक्तिकरण की दशा में जो बड़ा आधार तैयार किया है उसमें शिक्षा मील का पत्थर साबित हुई है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। अपनी क्षमताओं से महिलाएँ आगे बढ़ने लगी हैं। अपनी क्षमताओं से महिलाओं ने रोजगार के सभी क्षेत्रों में न केवल दस्तक दे दी है वरन् मजबूती के साथ अपने अस्तित्व का आभास भी कराया है। कामयाबी की नई–नई मिसाले बन रही महिलाएँ सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। प्रत्येक स्तर पर उनकी आवाज को पहचान मिल रही है। इन्हीं अधिकारों की बदौलत सामाजिक बदलाव में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जिसको पुरुष स्वीकार भी कर रहे हैं।

आज भी महिलाओं से जुड़े कानूनों का निर्माण पुरूष बाहुल्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। अनेक प्रयासों के बावजूद व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसका कारण पुरुषों में भ्रांति है कि ऐसा कर देने पर उनका राजनीतिक वर्चस्व न केवल समाप्त हो जाएगा बल्कि लोकसभा और विधानसभाओं में उनके प्रवेश की संभावनाएँ भी क्षीण हो जायेगी। इसके साथ एक घबराहट यह भी है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का अधिक–से–अधिक जुड़ना समाज को मातृसतात्मक न बना दे जिसके कारण पुरूष हाशिये पर न चला जाए।

बावजूद इसके महिला अधिकार और सशक्तिकरण भारतीय समाज की आवश्यकता है। किसी एक वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाएँ हमारे समाज का हिस्सा है, उनकी तरक्की को किसी भय या शंका के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। दोनों वर्गों का दायित्व एक–दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देना होना चाहिए। जहाँ पुरुष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है वहीं महिलाओं को भी परिवेष में उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जो अभी तक पुरुषों के लिए निर्धारित थे। महिलाओं के लिये यह राह मुश्किल अवश्य है किन्तु नामुमकिन नहीं।

## संदर्भ सूची


1. पाठक, ऋतेष सं. (2016) योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, सितम्बर 2016, पृ. 7।
2. वही।
3. वही।
4. कुरुक्षेत्र, मार्च, 2015, पृ. 19।
5. खुराना, ललिता (2015) (सं.) *कुरुक्षेत्र,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 10।
6. खुराना, ललिता (सं.), पूर्वोक्त, पृ. 11।
7. पूर्वोक्त, पृ. 12।
8. खुराना, ललिता (2016) (सं.) *कुरुक्षेत्र,* जनवरी, 2016, पृ. 12।
9. रानी, ममता (2020) (सं.) 'योजना' प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, जुलाई 2020, पृ. 34।
10. खुराना, ललिता (2016) (सं.) *कुरुक्षेत्र,* जनवरी 2016, पृ. 13।
11. सक्सेना, ऋषभ कृष्ण (2016) बालिका सशक्तीकरण कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, जनवरी 2016, पृ. 10।
12. पूर्वोक्त, पृ. 12–13।
13. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2015, पृ. 9।
14. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2016, पृ. 11–12
15. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2016, पृ. 11
16. आहुजा, राय (1995) *भारतीय सामाजिक व्यवस्था,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
17. सिंह, धीरज (प्र. सं.) (2007) *योजना,* प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 32–33।


********